डांग विकास संस्थान करौली

द्वारा संचालित जिला प्रवासी संन्दर्भ केन्द्र

प्रवास पूर्व प्रशिक्षण रिपोर्ट

डांग विकास संस्थान द्वारा दिनांक 12.06.2025 परियोजना एम.आर.सी के निर्धारित लक्ष्य अनुसार जनसमुदाय को प्रवास से पूर्व आवश्यक जानकारी सतर्कता हेतु प्रवास पूर्व प्रशिक्षण **स्थान – गांव तुरसंगपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली** में रखा गया।

- **प्रशिक्षक** :– 1. श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम समन्वयक, 2. श्रीमती ज्योति शर्मा जिला समन्वयक 3. श्री राजेन्द्र माली 4. श्री रिंकू मीना 5. श्री राहुल बैरवा 6. श्री खुशीराम मीना
- **सहभागी** :– गांव तुरसंगपुरा के जनसमुदाय से 26 महिला 14 पुरूष इस प्रकार कुल 40 लोगो ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
- **समय :– दिनांक 12.06.2025 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक**
- **उद्देश्य** :– सुरक्षित प्रवास हेतु प्रवासी मजदूरो को प्रवास से पूर्व प्रवास के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रवास के दौरान जरूरी सतर्कता, मजदूर अधिकारों व प्रवास के दौरान आपदा अन्य आपातकालीन स्थिति में हेल्प लाईन नम्बर व संबंधित सरकारी कार्यालयों की जानकारी देना।

प्रशिक्षण का विवरण

प्रशिक्षक :– श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम समन्वयक डांग विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आरम्भ कर प्रशिक्षण के सभी सहभागियो को अवगत कराया गया कि डांग विकास संस्थान विगत कई वर्षो से प्रवासी मजदूर परिवारों,सिलीकोसिस पीडित परिवार विधवा महिलाऐं खान श्रमिक/मजदूर के साथ–साथ डांग विकास संस्थान सभी गरीब व पिछडे समुदाय के लिए कार्य कर रही है। श्री राजेश शर्मा द्वारा लोगो को प्रवास पर जाने से पूर्व पूर्ण जानकारी रखने, सतर्कता बरतने व जिन लोगो के पास मजदूर कार्य कर रहा है उनकी पूरी जानकारी अपने परिवारजनो को देकर रखनी चाहिए। इस संबंध में श्री राजेश शर्मा द्वारा मध्यस्थता कानून के बारे मे प्रशिक्षण के सहभागियो को जानकारी दी गई।

- **मध्यस्थता कानून** :–

  दो पक्षो में विवाद के स्थिति में कभी–कभी कानूनी तरीके सुलझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। इस दौरान बहुत समय व पैसा खर्च होता है। जिससे मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर हों जाता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए सरकार

द्वारा मध्यस्थता कानून लाया गया है। इस कानून के तहत दोनो पक्ष मुकदमे के दौरान या पूर्व आपस में मिल–बैठकर एक व्यक्ति को मध्यस्थ करके विवाद को सुलझा सकते है। इस प्रकार कोई केस अगर होता है तो डांग विकास संस्थान द्वारा मध्यस्थ के रूप में मजदूर पक्षकारों की मदद की जाऐगी। इस संबंध में कार्यालय डांग विकास संस्थान करौली में सम्पर्क किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी

हिंडौन सिटी(दौसा गजट) । डांग विकास संस्थान करौली द्वारा संचालित जिला प्रवासी संदर्भ केंद्र करौली के माध्यम से तुरसंगपुरा में प्रवास पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा ने बताया कि इस दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा करौली मासलपुर सपोटरा के गांवो में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों व उनके लीगल केसो के समाधान हेतु जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिक व उनके परिवारों को श्रम विभाग, खाद्य सुरक्षा योजना, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, सिलिकोसिस सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संगठन के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा, जिला समन्वयक ज्योति शर्मा एवं फील्ड कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में निम्न सरकारी योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी, श्री राजेश शर्मा द्वारा जानकारी प्रदान की गई :–

- **श्रम विभाग की योजनाऐ :–**

श्री राजेश शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम विभाग के अधिकतर योजनाओ का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को श्रमिक डायरी बनवाना आवश्यक है। यह डायरी भवन निर्माण व अन्य सभी प्रकार निर्माण कार्य में सम्मलित श्रमिक यह डायरी ई–मित्र के माध्यम से बनवा सकते है। सुश्री नीतू चतुर्वेदी द्वारा अवगत कराया गया कि जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैक पास बुक राशन कार्ड, फोटो आदि श्रमिक डायरी बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज है। आवेदक की उम्र 18–59 वर्ष होनी चाहिए। यह डायरी प्रत्येंक 05 वर्ष में रिन्यूबल करवानी होती है।

- **खाद्य सुरक्षा योजना :–**

पात्र व्यक्ति :– श्रमिक डायरी वाले श्रमिक, एक वर्ष में 100 दिवस का कार्य करने वाले श्रमिक, पालनहार योजना के लाभार्थी, भूमीहीन परिवार, लघु/सीमान्त किसान,कुष्ठ व एड्स रोंगी, ई–रिक्शा चलाने वाले, कचरा बीनने वाले, बिकलांग, उत्तराखण्ड त्रिसादी पिडित, निसंतान,वृद्ध महिला, अस्था कार्ड धारी आदि

खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पर सरपंच, सेकेटरी,बीडीओ, पटवारी के द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। इसका आवेदन ई–मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।

लाभ :– प्रत्येक यूनिट को 05 किग्रा गेहू, सी.एम आयुष्मान आरोग्य में बीमा का लाभ, परिवार को 10 लाख तक का बीमा लाभ

प्रशिक्षक :– श्रीमती ज्योति शर्मा जिला समन्वयक द्वारा परियोजना एम.आर.सी के बारे में सहभागियों के बताया कि डांग विकास संस्थान द्वारा परियोजना एम.आर.सी संचालित की जा रही है। जिसमें प्रवासी मजदूरो को सुरक्षित प्रवास सरकारी योजनाओं से जोडने हेतु घर–घर जाकर पंजीकरण किया जा रहा है साथ ही पात्र व्यक्तियो को संबंधित योजनाओं में आवेदन करवाकर लाभ दिलवाने में मदद की जा रही है। एम.आर.सी परियोजना में मजदूर सुरक्षा के केसों पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ में डांग विकास संस्थान परियोजना एम.आर.सी की टीम का परिचय सभी सहभागियों को दिया गया। श्रीमती ज्योति शर्मा द्वारा निम्न योजना की जानकारी दी गई :–

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,**

  गर्भवती महिलाओ को भरण पोषण हेतु टीकारण के आधार पर किस्तों में प्रथम व द्वितीय बार गर्भवती होन पर कुल 6000 का लाभ दिया जाता है।

1. **प्रसूती सहायता योजना :–**

दस्तावेज :– जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, ममता कार्ड

माध्यम :– ऑनलाईन ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

लाभ :– लडकी के जन्म पर 21000 व लडके के जन्म पर 20000 रूपये की राशि दी जाती है।

2. श्रमिक के मृत्यु पर देय लाभ

   सामान्य मृत्यु पर 02 लाख रूपये एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 05 लाख रूपये देय है। दुर्घटना में पूर्ण/स्थाई अपंगता होने पर 03 लाख रूपये दिये जाते है।

3. आवास सहायता

   05 लाख रूपये तक का ऋण बैक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रशिक्षक :– श्री रिकू मीना फिल्ड ऑफिसर द्वारा प्रशिक्षण सहभागियों को बताया गया कि प्रवास पर जाने से पूर्व गांव के सरंपच/सैकेट्री को अपनी व प्रवास स्थान संबंधित व्यक्ति की सम्पूर्ण

जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रवास पर अगर कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है तो उसकी भी प्रथक से जानकारी दी जानी चाहिए। प्रवास पर उपलब्ध की कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूर्ण जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मदद हेतु मजदूर हेल्प लाईन नम्बर 180012011211 की जानकारी दी गई। श्री रिकू मीना के द्वार कार्य स्थल पर सुरक्षा के बारे में सभी सहभागियों को बताया गया।

- **कार्य स्थल पर सुरक्षा :–** श्री रिकू मीना द्वारा सहभागियों को समझाया गया कि कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षित कार्य वातावरण हेतु काम में आने वाले उपकरणों की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था के साथ कार्य स्थल पर पर्याप्त हवा व रोशनी की व्यवस्था ठेकेदार/मालिक के द्वारा करवाई जानी चाहिए। मजदूरों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणो का कार्य के दौरान आवश्यक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते,मास्क आदि। आपातकालीन स्थिति में निकास मार्ग स्पष्ट और बाधा रहित होना चाहिए। आपातकालीन सम्पर्क नम्बर और नजदीकी अस्पताल की जानकारी प्रत्यके मजदूर को होनी चाहिए।

प्रशिक्षक :– श्री राजेन्द्र माली फिल्ड ऑफिसर द्वारा प्रशिक्षण सहभागियों को मजदूर हेल्प लाईन नम्बर की जानकारी दी गई। जिसमें किसी प्रवासी मजदूर को अगर कोई भुगतान ठेकेदार/मालिक द्वारा रोक दिया गया है या भुगतान करने से मना कर दिया है तो आप मजदूर हेल्प लाईन नम्बर पर या डांग विकास संस्थान के कार्मिक को केस दर्ज करवा सकते है जिसमें डांग विकास संस्थान के कार्मिक टीम द्वारा आपकी मदद की जाऐगी। संबंधित लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्पर्क कर सहयोग किया जाऐगा। इस दौरान सहभागियों ने श्रमिक डायरी व ई–श्रम कार्ड व खाद सुरक्षा योजना के संबंध में प्रश्न पुछे गये। जिनका प्रतिउत्तर श्री राजेन्द्र माली द्वारा सहजता से व आसान शब्दों में समझाकर दिया गया। जिससे प्रतिभागी संतुष्ट हुए।

तुरसंगपुरा में श्रमिकों के अधिकारों और योजनाओं की जानकारी दी

सपोटरा। तुरसंगपुरा में श्रमिकों को योजनाओं व अधिकारों की जानकारी दी ।

भास्कर न्यूज़| सपोटरा

डांग विकास संस्थान करौली की ओर से संचालित जिला प्रवासी संदर्भ केंद्र करौली के तत्वावधान में उपखंड मुख्यालय के गांव तुरसंगपुरा में प्रवास पूर्व प्रशिक्षण हुआ। इसमें श्रमिकों के आधार व योजनाओं की जानकारी दी गई।कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के साथ श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे ... संस्थान करौली, मासलपुर व सपोटरा के गांवों में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों व उनके लीगल केसों के समाधान के लिए जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिक व उनके परिवारों को श्रम विभाग, खाद्य सुरक्षा योजना, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, सिलिकोसिस सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। जिला समन्वयक ज्योति शर्मा ने

श्री राहुल जनसाथी एवं श्री खुशीराम मीना जनसाथी फेसीलीटेटर द्वारा महिला सहभागियों को महिला हेल्प लाईन नम्बर 180030002852 के बारे में अवगत कराया। इस संबंध में उनके द्वारा हेल्प लाईन नम्बर पर के केश पंजीकरण के बारे में समझाया गया। श्री राहुल जनसाथी द्वारा डांग विकास संस्थान के कार्यों के बारे में समझाया गया कि वर्तमान में डांग विकास संस्थान मजदूर एव आमजन के सहयोग हेतु कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। जिससे आम जनसमुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता व आसानी हो रही है।

- **आईसीई सामग्री वितरण** :— प्रशिक्षण में आये सभी सहभागियों को श्री खुशीराम मीना एवं श्री राहुल बैरवा द्वारा आईसीई सामग्री का वितरण किया गया। जिसमें ब्रोसर पम्पलेट आदि सामिल थे।
- **प्रशिक्षण परिणाम** :—

डांग विकास संस्थान द्वारा आयोजित कराये गये प्रवास पूर्व प्रशिक्षण से परियोजना में दिये गये लक्ष्य— जन समुदाय को प्रवास पूर्व प्रशिक्षण को प्राप्त करने में आसानी रहेगी तथा जन समुदाय तक सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आसानी से पहुच बनाई जा सकती है। जन समुदाय के बीच डांग विकास संस्थान की सकारात्मक छवि बनेगी। जनसमुदाय को प्रवास पूर्व प्रशिक्षण से सुरक्षित प्रवास को बढावा मिलेगा। प्रवासी मजदूर को आपात स्थिति से निकलने में आसानी होगी।

प्रशिक्षण का मुल्यांकन :—

श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम अधिकारी डांग विकास संस्थान करौली द्वारा सभी सहभागियो से प्रशिक्षण के संबंध में खुला सत्र रखा गया। जिसमें सहभागियों ने अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को प्रशीक्षकों से पूछा। प्रशिक्षकों को द्वारा सहज व आसान शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर

दिया गया। गांव तुरसंगपुरा के सभी महिला एवं पुरूष सहभागियों द्वारा डांग विकास संस्थान एवं टीम को धन्यवाद दिया गया व आगे भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

अन्त में श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम अधिकारी डांग विकास संस्थान करौली द्वारा सभी प्रशिक्षकों व सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण का समापन किया गया।

डांग विकास संस्थान करौली

प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्य योजना व विषय सूची

स्थान :– तुरसंगपुरा दिनांक 12.06.2025

समय प्रातः 10.30 बजे से 12.30 तक

क्रंसं	बिन्दु	समय	संदर्भ व्यक्ति
1	डांग विकास संस्थान परिचय, मध्यस्थता कानून, न्यूनतम मजदरी की जानकारी देना।	45 मिनट	श्री राजेश शर्मा
2	परियोजना एम.आर.सी के बारे में जानकारी देना,टीम का परिचय देना	15 मिनट	श्रीमती ज्योति शर्मा
3	कार्य स्थल पर सुरक्षा व मजदूर अधिकारों के वारे में जानकारी देना, मजदूर हेल्पलाईन नम्बर की जानकारी देना	30 मिनट	श्री रिकू मीना
4	प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, पंजीकरण,आवेदन तथा लाभ के बारे में जानकारी देना	15 मिनट	श्री राहुल बैरवा
5	आईसीई सामग्री की जानकारी व वितरण	15 मिनट	श्री खुशीराम मीना श्री राहुल बैरवा

प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर

डांग विकास संस्थान करौली

Pre Departure Training Attendance Sheet

दिनांक.– 12/6/2025 स्थान– तुरसंगपुरा ब्लॉक– सपोटरा जिला– करौली राजस्थान कार्मिक नाम रिंकू मीना

क्र. सं.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	ग्राम पंचायत	आईसीई सामग्री दी हाँ/नही	पलायन हाँ/नही	पलायन स्थान	MRC पंजीकरण हाँ/नही	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	फूलवती देवी	सुकलाल	SC	तुरसंगपुरा	बारखेडी	हाँ	नही	—	हाँ	6375170503	L.T.I. फूलवती
2.	राजू बैरवा	बसंता	SC	"	"	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	9256178208	राजू
3	ईद्रा	राजू बैरवा	SC	"	"	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	9256178208	राजू
4	पृथ्वीराज	श्रीफूल	SC	"	"	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	7220991564	पृथ्वीराज
5	श्रीराम	रामसरूप	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	8696954586	श्रीराम
6.	संतरा देवी	रामसरूप	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	8696954586	संतरा
7	अनीता	मुकेश	SC	"	"	हाँ	नही	—	✓	–	R.T.I. मुकेश
8	रामपती	श्रीफूल	SC	"	"	हाँ	नही	—	✓	8107998520	गब्बर बाई
9	गुड्डी	मोहनलाल	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	9783267403	मुकेश
10	महेश	बसंता	SC	"	"	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	7877738514	पूर्ती बाई
11	पूर्ती	मोहनलाल	SC	"	"	हाँ	नही	—	✓	7014732916	सुरज बैरवा
12	सूरज	बलीलाल	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	8502008548	अंकित
13	अंकित	कैलाश	SC	"	"	हाँ	नही	—	✓	9772361816	
14											

प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर

Pre Departure Training Attendance Sheet

दिनांक- 12/06/2025 स्थान- मुरसंगपुरा ब्लॉक- सपोटरा जिला- करौली राजस्थान कार्मिक नाम रिंकू मीना

क्र. सं.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	ग्राम पंचायत	आईसीटी सामग्री दी हाँ/नहीं	पलायन हाँ/नहीं	पलायन स्थान	MRC पंजीकरण हाँ/नहीं	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	हरि	भोम्या	SC	मुरसंगपुरा	बापौटी	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	9352826107	हरि
2	पप्पू	गोमोली	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	6377986703	[illegible]
3	भगवानसिंह	प्रभुलाल	SC	"	"	हाँ	हाँ	हैदराबाद	✓	9672078630	भगवानसिंह
4	मोहनलाल	बिरान्या	SC	"	"	हाँ	हाँ	जयपुर	✓	8107998620	मोहनलाल
5	रामकरी [illegible]	इच्छानी [illegible]	SC	"	"	हाँ	हाँ	"	✓	8905104737	रामकरी [illegible]
6	इन्द्रराज	मंगल	SC	"	"	हाँ	हाँ	"	✓	8906104737	इन्द्रराज
7	सुरेश	बासुन्धा	SC	"	"	हाँ	नहीं	मुम्बई	✓	6377987703	सुरेश
8.	रामजीलाल	धन्नाति	SC	"	"	हाँ	नहीं	जयपुर	✓	8769335298	R.T.M. रामजी
9.	मोहन	भोला	SC	"	"	हाँ	नहीं	"	✓	6378310540	R.T.M. मोहन
10.	परसराम	रामकिशन	SC	"	"	हाँ	हाँ	—	✓	8502972980	परसराम
11.	केसर	भोलू	SC	"	"	हाँ	नहीं	—	✓	9983167926	R.T.M. केसर
12.	रामपति	रामलाल	SC	"	"	हाँ	नहीं	—	✓	6302099678	R.T.M. रामपति
13.	सुनीता	हंसराज	SC	"	"	हाँ	नहीं	—	✓	9256498180	सुनीता
14									✓		
15											

<u>प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर</u>

पेज संख्या 03

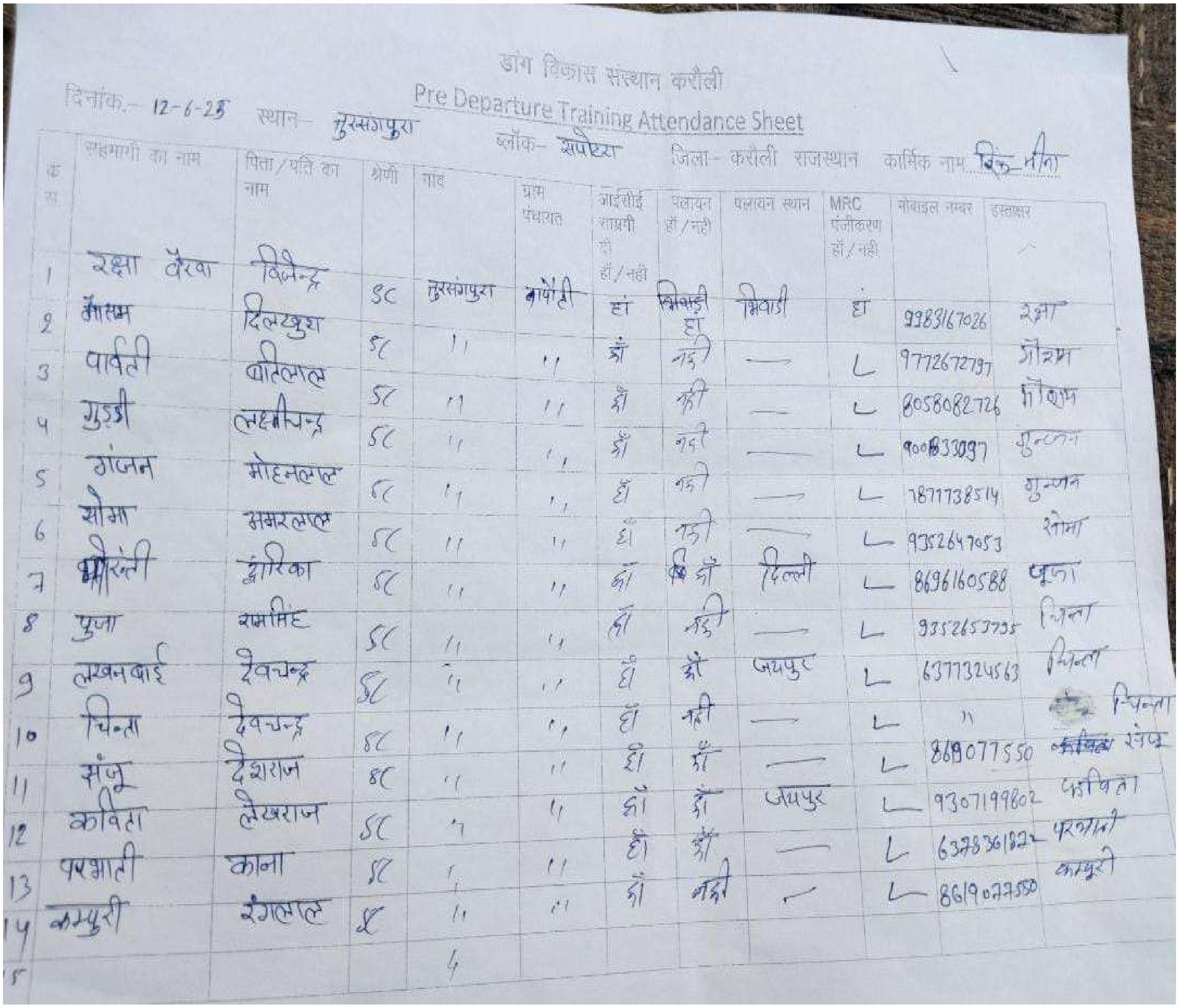

डांग विकास संस्थान करौली

Pre Departure Training Attendance Sheet

दिनांक.- 12-6-25 स्थान- तुरसंगपुरा ब्लॉक- सपोटरा जिला- करौली राजस्थान कार्मिक नाम रिंकू मीना

क्र. स.	सहभागी का नाम	पिता / पति का नाम	श्रेणी	गांव	ग्राम पंचायत	आईसीई सामग्री दी हाँ / नही	पलायन हाँ / नही	पलायन स्थान	MRC पंजीकरण हाँ / नही	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	रक्षा बैरवा	विजेन्द्र	SC	तुरसंगपुरा	बापोंटी	हां	भिवाड़ी हां	भिवाड़ी	हां	9983167026	रक्षा
2	मौसम	दिलखुश	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	9772672797	मौसम
3	पार्वती	बाबूलाल	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	8058082726	[illegible]
4	गुड्डी	लक्ष्मीचन्द्र	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	9001833097	गुन्जन
5	गंजन	मोहनलाल	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	7877738514	गुन्जन
6	सोमा	अमरलाल	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	9352647053	सोमा
7	[illegible]रंती	द्वारिका	SC	"	"	हां	हां	दिल्ली	L	8696160588	पूजा
8	पुजा	रामसिंह	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	9352653735	चिन्ता
9	लखनबाई	देवचन्द्र	SC	"	"	हां	हां	जयपुर	L	6377324563	चिन्ता
10	चिन्ता	देवचन्द्र	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	"	चिन्ता
11	संजू	देशराज	SC	"	"	हां	हां	—	L	8619077550	~~कविता~~ संजू
12	कविता	लेखराज	SC	"	"	हां	हां	जयपुर	L	9307199802	कविता
13	परभाती	काना	SC	"	"	हां	हां	—	L	6378361822	परभाती
14	कस्तूरी	रंगलाल	SC	"	"	हां	नहीं	—	L	8619077550	कस्तूरी
15				"							